सहकारी पशुआहार फैक्ट्री

ईकाईः— राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संध लि0,

88, औधोगिक क्षेत्र, झोटवाडा, जयपुर—302012

दूरभाष संख्या —0141—2341324, 2343549 फैक्स नः—0141—2340182

कमांक सी / सी / एफ / बारदाना / 2016—17 दिंनाक

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1	फर्म का पुरा नाम व पता :—	
2	दूरभाष संख्या , कार्यालयः— निवासः—	
3	विकय कर रजिस्ट्रषन संख्या	
	आर.एस.टी. नम्बरः—	
	सी.एस.टी.नम्बरः—	
4	अमानत राषि का विवरण	
	डी.डी.संख्या, मय राषि व दिंनाक	
5	पुराना बारदाना (बोरिया)	

क्र. स.	बारदानें का विवरण	दर रू प्रति बोरी(अंको में)	दर रू प्रति बोरी(षब्दों में)
1.	पशुआहार के कच्चे माल से खाली होने वाला उपलब्ध बारदाना लगभग 80000 बोरी नग 50 बोरी के बण्डलों		

	में		
2.	माह अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह में पशुआहार के कच्चे माल से खाली होने वाला बारदाना		

नोट :– बिन्दू संख्या 2 में दी गई दरें 31 मार्च 2017 तक के लिए वैध होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

1. निविदा स्वीकृति आदेष जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ठेका संचालन व बारदाना उठा लिया जाना आरम्भ कर दिया जावेगा। बारदाना उठाना प्रारम्भ करने के प्रथम दो सप्ताह में अर्थात स्वीकृति आदेष जारी होने की दिंनाक से चार सप्ताह में संयंत्र पर उपलब्ध समस्त बारदाना उठा लिया जावेगा। तत्पष्चात बारदाना उठानें की गति इस तरह से रखी जावेगी कि पन्द्रह दिन से अधिक का बारदाना कभी एकत्रित न हो। मैं सहमत हूॅं कि यह अहम शर्त है और इसकी पालना सुनिष्चित करूगां।

2. मैं धोषणा करता हूॅं कि निविदा की समस्त शर्ते पढ एंव समझ ली गई है तथा उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूॅं। जिसके प्रतीक स्वरूप मैनें निविदा की शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये है। तथा उनका पालन करते हुए अपनी दरें दे रहा हूॅं।

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का पूर्ण नाम व पताः

पूराना बारदाना विक्रय हेतु निविदा एंव संविदा नियम एंव शर्ते

01. दरें निविदा सूचना में दिये गये निर्देषों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में भेजी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पुरानें बारदानें की निविदा मय खोलनें की तिथि लिखा होना चाहिए।

02. दरों की ईकाईयों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नही किया जाना चाहिये और दरे अंको के साथ शब्दों में भी अवष्य लिखी जानी चाहिये।

03. निविदा उन फर्मो, व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये

(i) जो पुराने बारदानें का व्यवसाय कर रहें हैं।

(ii) बिक्री कर विभाग में यथोचित पंजीकृत हैं व जिनके पास वैध आरएसटी/सीएसटी/टिन नम्बर है।(यह नम्बर न केवल निविदा प्रपत्र में यथास्थान भरा जाना है, वरन निविदाकर्ता के लैटरहैड पर भी मुद्रित होना चाहिए)

04. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके आरभूत किसी को न तो किसी अन्ये एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

05. बारदाना ''जहॉ है, जैसा है'' उसी स्थिति में बिना छंटनी किये उठाना होगा।

06. बारदाना जिसके दो परत व चार कोने हो बोरी की श्रेणी में आवेगी, जिस बारदानें में 25 किलो गेहूँ/चावल/मक्की से ज्यादा वनज भरा जा सके, वह बारदाना भी बोरी की श्रेणी में आयेगा।

07. बोरियों की दरें प्रति बोरी के हिसाब से दी जावेगी ।

08. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये। पेंसिल से या अन्यथा भरी गई निविदा पर विचार नही किया जावेगा।निविदा में कोई परिवर्तन तथा परिवर्तन नही किये जाने चाहिये। कोई उपरी लेखन(ओवरराईटिंग)नही किया जाना चाहिये। शुद्धियॉ कोई हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये तथा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

09. निविदाकार निविदा और करार की शर्तो और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करेगा।

10. प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड, जयपुर को अधिकार होगा कि वे अन्य सरकारी, सहकारी उपकमों के पक्ष में भी दरें स्वीकार कर सकते हैं।

11. निविदायें निर्धारित प्रपत्र पर सहकारी पशुआहार फैक्ट्री की शर्तो के अनुसार देनी होगी तथा निविदा के साथ अमानत राषि रू 25000/–, 50000/– अकें (पच्चीस हजार, पच्चास हजार) सहकारी पशुआहार

फैक्ट्री के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा, बिना अमानत राषि के निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

12. पुरानी बोरियों के लिए अनुमोदित निविदादाता को सहकारी पशुआहार फैक्ट्री में रूप्ये 1,00,000/– सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे, जिसमें उसके द्वारा दी गइ अमानत राषि समायोजित कर ली जावेगी। अर्थात अमानत राषि भी सिक्योरिटी डिपोजिट में परिवर्तित हो जावेगी। सिक्योरिटी जमा नही कराने पर पुरानी बोरियों , के अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेष नही देते हुए उसकी पूर्व जमा अमानत राषि जब्त कर ली जावेगी।

13. यदि आवष्यक समझा गया तो दरें आपसी वार्ता ' नगोसियेषन' द्वारा भी तय की जा सकती है।

14. निविदा में प्राप्त दरें वर्ष 2015–2016 के लिए मान्य होगी तथा निविदाकार को एक वर्ष के लिए अनुबन्ध कराना होगा। मासिक आधार पर उपलब्ध बारदाने की सूचना महाप्रबन्धक संयंत्र द्वारा प्रत्येक माह की लगभग 7 तारीख तक अनुमादित (Approved) केता को दे दी जावेगी तथा इस आधार पर सूचित कय किये जाने वाले बारदानें के मूल्य की राषि संयंत्र में जमा करा दी जाकर बारदाना, निविदा प्रपत्र में बिन्दु संख्या – 6 में दर्षायेनुसार प्रत्यके माह की 30 तारीख तक संयंत्र से ले लेना होगा। उक्त राषि बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा संयंत्र में जमा करानी होगी। उपरोक्त सूचना के अतिरिक्त अनुमोदित (Approved) फर्म का दायित्व होगा कि वह प्रत्यके माह की 7 तारीख तक उपलब्ध बारदानें की सूचना संयंत्र से प्राप्त कर राषि जमा करा देगा एंव निर्धारित अवधि में बारदाना उठा देगा।

15. बिन्दू संख्या – 14 व निविदा प्रपत्र की बिन्दु संख्या– 6 में दर्षाई गई अवधि अर्थात बारदाना उठाने की मासिक अवधि ही निर्धारित अवधि में बारदाना न उठाये जाने की स्थिति में महाप्रबन्धक, संयंत्र को अधिकारी होगा कि निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रचलित बाजार भाव से बारदाना विकय कर दे और विकय से संबंधित संयंत्र को यदि काई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व बारदाना नही उठाने वाली अनुमोदित (Approved firm) केता का होगा।

16. यदि अनुमोदित(Approved)निविदादाता लगातार उपलब्ध बारदाना उठानें में असमर्थ रहता हैतो धरोहर राषि जब्त कर अनुबन्ध भी रद्द किया जा सकता है।

17. बोरियों की संख्या उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल के काम में लिये जाने पर निर्भर करेगी, जिसकी सूचना प्रत्येक माह शर्त संख्या – 14 में उल्लेख अनुसार दी जावेगी।

18. निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंधन पर धरोहर राषि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड को होगा।

19. अनुमोदित (Approved) निविदादाता की सिक्योरिटी डिपोजिट अनुबन्ध अवधि एक वर्ष तक जमा रहेगी। अनुबन्ध संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सिक्योरिटी

राषि जब्त की जा सकती है। उक्त सिक्योरिटी राषि सहकारी पशुआहार फैक्ट्री में जमा करानी होगी तथा इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

20. पूरा ठेका अवधि में यदि बोरी की कोई मात्रा अनुमोदित ठेकेदार को उपलब्धता न होने के कारण संयंत्र से आफॅर नही की जाती है तो ऐसी दषा में ठेकेदार किसी प्रकार के हर्जाने/खर्चा प्राप्त करने का न तो हकदार होगा और न ही ठेका अवधि से पूर्व उसकी धरोहर राषि उसे वापस की जा सकेगी।

21. इस कार्यालय से कार्य आदेष/ठेका अनुमोदन ओदष जारी होने के उपरान्त अनुमोदित निविदादाता/सहकारी पशुआहार फैक्ट्री के बीच अलग से कोई अनुबन्ध सम्पादित नही किया जावेगा बल्कि निविदादाता द्वारा सहकारी पशुआहार फैक्ट्री कार्यालय में दिये गये निविदा देते समय हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र को ही न्यायाधिक दृष्टि से विधिवत सम्पादित हुए अनुबन्ध के रूप में मान लिया जायेगा।

22. बारदानें का विक्रय मूल्य एक्स फैक्ट्री दर्षाया जाना चाहिये तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय एंव अन्य प्रकार के कर उसमें सम्मलित नही माने जावेगें जिन्हे निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

23. बारदानें को उठानें व परिवहन करने का व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।

24. सहकारी पशुआहार फैक्ट्री से बारदाना क्रय की दरें केवल दिये गये प्रोफार्मा निविदा प्रपत्र मे ही देनी होगी।

25. निविदा प्रस्ताव में निविदादाता द्वारा अपनी और से जोडी/दी गई किसी भी प्रकार की कोई शर्ते मान्य नही होगी।

26. आब्रीट्रेषनः– अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे आब्रीट्रेषन को निर्णय हेतु रैफर किया जावेगा। प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकारी सोल आर्ब्रीट्रेटर होगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

27. किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालय का क्षेत्राधिकार सहकारी पशुआहार फैक्ट्री, झोटवाडा, जयपुर होगा।

28. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने अथवा अधिकतम निविदा के अतिरिक्त किसी अन्य निविदा को स्वीकृत करने का अधिकारी प्रबन्ध संचालक महोदय, राजफैड, जयपुर के पास सुरक्षित है।

29. निविदा में प्रस्तुत दर यह स्वतः मानकर अनुमोदित की जावेगी कि अनुमोदित (।चचतवअमक) क्रेता ने जिस बारदानें की दर दी है जिसकी किस्म की उसे पूर्ण जानकारी है। अनुमोदनोपरान्त पार्टी को बारदानें की क्वालिटी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपति का अधिकार नही होगा।

30. संयंत्र के गोदाम या खुले में रखे बारदानें को अनुमोदित (।चचतवअमक) क्रेता को सम्भलवानें के उपरान्त बारिष, दीमक आदि से सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी स्वमं की होगी।

31. केवल अधिकृत व्यक्ति को ही संयंत्र में बारदाने के बण्डल प्राप्त करनें के उद्‌देषय से प्रवेष का अधिकार होगा।

32. अनुमोदित फर्म जो कि बारदाना उठानें में किन्ही भी कारणों से असफल रहती है और वह राजफैड की अन्य यूनिट में किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए भी अनुमोदित है तो बारदाना उठाने में असफल होने की स्थिति में राजफैड के अन्य किसी भी दूसरे रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत किसी भी मद में सहकारी पशुआहार फैक्ट्री/ईकाई द्वारा देय राषि/धरोहर राषि/अमानत राषि / में से क्षतिपूर्ति की भरपाई अनुमोदित फर्म को बिना सूचित किये भी की जा सकती है।

33. उक्त अनुबन्ध, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार संचालित होगा।

प्रकाषित निविदा की समस्त शर्ते स्वतः ही इसमें सम्मलित मानी जावेगी।

उपरोक्त समस्त शर्ते मैनें पढ़ व समझ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम

पता